संख्या-12/2026/I/1420531/38-4099(99)/62/2026

प्रेषक,

सौरभ बाबू,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक: 04 अगस्त, 2026

विषय:- 'जीरो पॉवर्टी-उत्तर प्रदेश' अभियान के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा एवं विशेष कठिनाई से आच्छादित बेघर तथा जीर्ण-शीर्ण एवं कच्चे घरों में निवासरत गरीब परिवारों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक-02.02.2018, सपठित शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक-04.02.2019, सपठित शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-18.03.2021, सपठित शासनादेश संख्या-19/2021/240/38-4-2021-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-25.06.2021, सपठित शासनादेश संख्या-44/2021/671/38-4-2021-123(विविध)/2017, दिनांक-27.12.2021, सपठित शासनादेश संख्या-16/2022/225/38-4-22-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-20.09.2022, सपठित शासनादेश संख्या-11/2023/114/38-4-23-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-11.04.2023, सपठित शासनादेश संख्या-31/2023/I/429039/38-4099(99)/129/2023, दिनांक-17.11.2023, सपठित शासनादेश संख्या-05/2024/I/502348/38-4099(99)/129/2023, दिनांक-22.02.2024, सपठित शासनादेश संख्या-09/2024/I/735262/38-4099(99)/29/2024, दिनांक-06.09.2024, सपठित शासनादेश संख्या-13/2024/I/747366/38-4099(99)/129/2023, दिनांक-20.09.2024, सपठित शासनादेश संख्या-14/2025/I/1092930/38-4099(99)/129/2023, दिनांक-18.09.2025, सपठित शासनादेश संख्या-06/2026/I/1304277/38-4099(99)/129/2023-Part(1), दिनांक-22.04.2026 एवं सपठित शासनादेश संख्या-11/2026/I/1376497/38-4099(99)/2026,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिनांक-29.06.2026 द्वारा कतिपय वर्ग/समुदाय/जातियों/जनजातियों को योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है।

2- उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत मूल शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक-02.02.2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.4 में उल्लिखित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत **'जीरो पॉवर्टी-उत्तर प्रदेश' अभियान के तहत चिन्हित परिवारों** को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सौरभ बाबू,
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2026/1420531(1), तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0।
(3) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0।
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(5) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(10) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(11) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(12) समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(13) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
(14) समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजित प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in